

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक : एफ 2(1) ग्रावि/ग्रुप-1/2013/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

9 JAN 2016

— विज्ञप्ति —

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं विभिन्न जिला परिषदों में राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 एवं संशोधित नियम, 2013 के तहत उनके सामने अंकित योग्यता एवं अनुभवी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

नोट:- उक्त नियम के अन्तर्गत चयनित समस्त अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में उनकी सेवावधि के दौरान उनके मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ता नियमानुसार संदत्त किया जायेगा।

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2016 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये परन्तु आवेदित पद पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन पहले से विशेष चयन पर कार्यरत अधिकारी 55 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र सेवायें, न्यूनतम योग्यता एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है। विशेष चयन के पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 16.07.2014, 13.08.2014 एवं 09.09.2015 के अनुसरण में जिन अधिकारियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग में प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

3/18/11  
(उज्ज्वल राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु पात्र सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम एवं रिक्त पदों की संख्या	सेवा का नाम	न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (33 पद)	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600-39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 17 (6600/- रु.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु प्रार्थना पत्र

1. अधिकारी का नाम \_\_\_\_\_
2. पिता का नाम \_\_\_\_\_
3. वर्तमान पद एवं कार्यालय पता  
(मय दूरभाष/मोबाईल नं०) \_\_\_\_\_
4. निवास का स्थायी पता  
(मय दूरभाष/मोबाईल नं०) \_\_\_\_\_
5. जन्म तिथि एवं 01.01.2016 को आयु \_\_\_\_\_
6. गृह जिला \_\_\_\_\_
7. शैक्षणिक योग्यता  
(स्नातक एवं स्नातकोत्तर से ऊपर) \_\_\_\_\_

डिग्री/डिप्लोमा का विवरण	वर्ष	शिक्षण संस्थान	विश्वविद्यालय	प्राप्तांको का प्रतिशत

8. सेवा का नाम, जिससे सम्बन्धित हों \_\_\_\_\_
9. पद, जिसके लिए आवेदन किया गया है \_\_\_\_\_
10. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा  
विभिन्न पदों पर पदस्थापन का विवरण \_\_\_\_\_

क्रमांक	दिनांक—से —— तक	पदनाम	वेतनमान	विशेष विवरण
1				
2				
3				

11. वर्तमान पद \_\_\_\_\_
12. क्या वर्तमान पद आपका मूल पद है  
अथवा विशेष चयन पर चयनित होकर  
कार्यरत है ? \_\_\_\_\_
13. यदि विशेष चयन पर वर्तमान में कार्यरत  
है तो आपके पैतृक विभाग में आपका  
वर्तमान पद एवं वेतनमान क्या है। \_\_\_\_\_
14. वर्तमान वेतनमान व वेतन \_\_\_\_\_
15. वर्तमान पद की पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

## पैतृक विभाग की सिफारिश

1. प्रार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच, प्राथमिक जांच, आपराधिक आरोप लम्बित नहीं है।
2. राजकीय कोष के सम्बन्ध में आवेदक कभी भी आपराधिक कार्यवाही, वित्तीय अनियमितताओं में विभागीय जांच, राजकोष के गबन के सम्बन्ध में कभी भी सजा नहीं दी गई।
3. सर्विस रिकार्ड के आधार पर पिछले सात वर्षों से आवेदक की सेवा न्यूनतम संतोषप्रद रही है।
4. आवेदक नियमित नियुक्ति के आधार पर नियुक्त है। ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति के दौरान आवेदक की सेवा में लियन अपने पैतृक विभाग/संस्था में रहेगा।
5. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यदि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र कार्मिक विभाग से मांगे जायें, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं करेगा।

सक्षम प्राधिकारी के  
हस्ताक्षर व पदनाम

## नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र

श्री-----पुत्र श्री-----का  
वर्तमान पद-----का चयन-----के पद  
पर किया जाता है तो इनकी सेवाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध  
करवाने में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

नियोक्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय कार्यालय सील के।